संख्या- 16/2023/77-2002(099)/1/2023/001-971

प्रेषक,

अनीता चौधरी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0 प्रयागराज ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 07 नवम्बर, 2023

विषय : वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-8 लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत पुनिर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी0एस0-124/बजट/23 दिनांक 25-09-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजी लेखा) 103-सरकारी मुद्रणालय 03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरण एवं संयंत्रों का क्रय के मानक मद 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र से लेखाशीर्षक-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 800-अन्य व्यय-03-अधिष्ठान (मुख्यालय) के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय में रू0 14.00 लाख (रूपये चौदह लाख मात्र) की व्यवस्था विभागीय बचतों से संलग्न पुर्नविनियोग (बी0एम0-9) प्रपत्र के अनुसार निम्नलिखित नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त के अतिरिक्त धनराशि जिस मद के लिए स्वीकृति की जा रही है उसी मद में आश्यकतानुसार आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अन्य प्रयोजनों/मदों में व्यय नहीं किया जायेगा एवं वितरण आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी तथा उसका सद्पयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा ।

(3) उपर्युक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

(4) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,00,000.00 (रुपये चौदह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 008 लेखाशीर्षक 4070008000300 अधिष्ठान (मुख्यालय) मानक मद 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा। (स्वीकृत पुनर्विनियोग का प्रपत्र संलग्न है)

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक – यथोक्त ।

भवदीया,

(अनीता चौधरी)
अनु सचिव ।

संख्या यथोक्त तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/6, उ0प्र0 शासन ।
7- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अनीता चौधरी)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A077-20232024-891

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-8 लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत पुनिर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
008	4058001030300 (सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयत्रों का क्रय)	26 (मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	14,00,000 रुपये चौदह लाख मात्र	-14,00,000 रुपये चौदह लाख मात्र	9,86,00,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
008	4070008000300 (अधिष्ठान (मुख्यालय))	14 (मोटर गाड़ियों का क्रय)	0	14,00,000 रुपये चौदह लाख मात्र	14,00,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।
(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है , उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(5) प्रशासकीय विभाग द्वारा गाड़ी क्रय किये जाने सम्बन्धी मूल पत्रावली, इस पत्रावली के साथ संलग्न नहीं की गयी है। अत: गाड़ी क्रय किये जाने के प्रस्ताव पर पृथक से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेंगे।
(6) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संख्या: आर ई-बजट-1-153-2023-24, दिनांक- 27 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अनीता चौधरी)
अनु सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।

(शैलेन्द्र कुमार राय)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

<u>संख्या : /77-2-2023 दिनांक- नवम्बर, 2023</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय,उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्यक/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- नोडल अधिकारी/अनु सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता चौधरी)
अनु सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।